



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938

No. 107]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 130 (अ).—राष्ट्रपति, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सतर्कता आयोग (कर्मचारी) नियम, 2007 में आगे संशोधन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सतर्कता आयोग (कर्मचारी) संशोधन नियम, 2017 है।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय सतर्कता आयोग (कर्मचारी) नियम, 2007 में अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित होगी, अर्थात् :-

“अनुसूची
(नियम 3 देखें)

समूह	क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद संख्या	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
समूह 'क'	1.	सचिव	1	स्तर 15
	2.	अपर सचिव	4	स्तर 14
	3.	मुख्य तकनीकी प्रशिक्षक	2	स्तर 14
	4.	सीडीआई (निदेशक स्तर)	11	स्तर 13
	5.	शाखा अधिकारी (निदेशक स्तर)	8	स्तर 13
	6.	निदेशक (निदेशक स्तर, जो प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है)	2	स्तर 13
	7.	सीडीआई (उप सचिव स्तर)	3	स्तर 12
	8.	शाखा अधिकारी (उप सचिव स्तर)	4	स्तर 12
	9.	विशेष कार्य अधिकारी	2	स्तर 12

	10.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	स्तर 12
	11.	अवर सचिव	4	स्तर 11
	12.	तकनीकी प्रशिक्षक	8	स्तर 11
	13.	प्रधान निजी सचिव	3	स्तर 11
	14.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	1	स्तर 10
	कुल		54	
समूह 'ख' राजपत्रित	1.	अनुभाग अधिकारी	14	स्तर 8 [श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर स्तर 10 में अकृत्यिक पदोन्नति]
	2.	निजी सचिव	24	स्तर 8 [श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर स्तर 10 में अकृत्यिक पदोन्नति]
	3.	अनुसंधान अधिकारी	1	स्तर 7
	4.	सहायक तकनीकी परीक्षक	6	स्तर 7
	कुल		45	
समूह 'ख' अराजपत्रित	1.	सहायक अनुभाग अधिकारी	28	स्तर 7
	2.	वैयक्तिक सहायक	17	स्तर 7
	3.	सांख्यिकी सहायक	1	स्तर 6
	4.	कनिष्ठ तकनीकी प्रशिक्षक	5	स्तर 6
	5.	पुस्तकालय और सूचना सहायक	1	स्तर 6
	6.	हिन्दी अनुवादक	1	स्तर 6
	कुल		53	
समूह 'ग'	1.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए)	20	स्तर 4
	2.	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	15	स्तर 4
	3.	डेटा एन्ट्री आपरेटर	1	स्तर 5
	4.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)	28	स्तर 2
	5.	स्टाफ कार ड्राइवर/जीप ड्राइवर	6	स्तर 2 (सामान्य श्रेणी)
				स्तर 4 (श्रेणी I)
				स्तर 5 (श्रेणी II)
6.	डिस्पैच राइडर	1	स्तर 2	
7.	एटीएस*	73	स्तर 1	
	कुल		144¹	

* एमटीएस में पूर्व समूह 'घ' पद सम्मिलित हैं।

[फा. सं. 399/6/2015-एवीडी-III]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, में संख्या सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 8 नवंबर, 2007 को प्रकाशित हुआ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2017

G.S.R. 130 (E).— In exercise of the powers conferred by section 20 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003) the President hereby makes following rules further to amend the Central Vigilance Commission (Staff) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Vigilance Commission (Staff) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Vigilance Commission (Staff) Rules, 2007, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

(see rule 3)

Group	S.No.	Post	Sanctioned Strength	LEVEL in the PAY MATRIX
Group 'A'	1.	Secretary	1	Level 15
	2.	Additional Secretary	4	Level 14
	3.	Chief Technical Examiner	2	Level 14
	4.	CDI (Director level)	11	Level 13
	5.	Branch Officer (Director level)	8	Level 13
	6.	Director (Director level to be filled by promotion)	2	Level 13
	7.	CDI (Deputy Secretary level)	3	Level 12
	8.	Branch Officer (Deputy Secretary level)	4	Level 12
	9.	Officer on Special Duty	2	Level 12
	10.	Sr. Principal Private Secretary	1	Level 12
	11.	Under Secretary	4	Level 11
	12.	Technical Examiner	8	Level 11
	13.	Principal Private Secretary	3	Level 11
	14.	Assistant Director (OL)	1	Level 10
Total			54	
Group 'B' Gazetted	1.	Section Officer	14	Level 8 [On completion of 4 years of regular services in the grade, Non-Functional Up-gradation in Level 10]
	2.	Private Secretary	24	Level 8 [On completion of 4 years of regular services in the grade, Non-Functional Up-gradation in Level 10]

	3.	Research Officer	1	Level 7
	4.	Assistant Technical Examiner	6	Level 7
	Total		45	
Group 'B' Non-Gazetted	1.	Assistant Section Officer	28	Level 7
	2.	Personal Assistant	17	Level 7
	3.	Statistical Assistant	1	Level 6
	4.	Junior Technical Examiner	5	Level 6
	5.	Library and Information Assistant	1	Level 6
	6.	Hindi Translator	1	Level 6
	Total		53	
Group 'C'	1.	Senior Secretariat Assistant (SSA)	20	Level 4
	2.	Stenographer Grade 'D'	15	Level 4
	3.	Data Entry Operator	1	Level 5
	4.	Junior Secretariat Assistant (JSA)	28	Level 2
	5.	Staff Car Driver/ Jeep Driver	6	Level 2 (Ordinary Grade) Level 4 (Grade I) Level 5 (Grade II)
	6.	Dispatch Rider	1	Level 2
	7.	MTS*	73	Level 1
	Total		144*	

*MTS includes previously Group 'D' posts.

[F.No. 399/6/2015-AVD-III]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 698(E), dated the 8th November, 2007.